"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 257] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 12 जुलाई 2018 — आषाढ़ 21, शक 1940

राजभवन
रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 जुलाई 2018

आदेश

क्रमांक एफ 1-1/2018/रास/यू.-11. — छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 (क्रमांक 21 सन् 2011) की धारा 9 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति, छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय, अंजोरा, दुर्ग द्वारा Dr. Dakshinkar Narayan Purushottam, Former Dean, Faculty of Vet. Sci., MAFSU, Nagpur को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय, अंजोरा, दुर्ग का कुलपति नियुक्त किया गया है.

2. Dr. Dakshinkar Narayan Purushottam का कार्यकाल, उपलब्धियां तथा सेवा शर्तें उक्त अधिनियम में निहित प्रावधान अनुसार होंगी.

हस्ता./-
(सुरेन्द्र कुमार जायसवाल)
राज्यपाल के सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.